न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

अतिक्रमण अपील वाद सं0–433 / 2017–18

श्रीमती प्रियदर्शनी वगैरह बनाम राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

15-3-18

आदेश

प्रस्तुत अपील वाद श्रीमती प्रियदर्शनी, पति संजीव कुमार, आवास सं0–एफ0 634 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, थाना–कंकड़बाग, जिला–पटना वगैरह ने अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के अतिक्रमण वाद सं0–02 / 2012–13 में पारित आदेश के विरूद्ध Bihar Public Enchrochment Act की धारा–07 अन्तर्गत इस न्यायालय में दायर किया गया है। वाद प्रतिग्रहण के बिन्दु पर सुनने के लिये दिनांक 28.10.2017 निर्धारित की गई। दिनांक 15.03.2018 को उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

विषयांकित वाद से संबंधित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा / थाना नं0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा	भूमि का किस्म
पकड़ी / 25	60	159	0.45 ए0	गैरमजरूआ आम
	96	85	0.75 ए0	गैरमजरूआ आम किस्म आहर
	19	160	0.12 ए0	बिहार राज्य आवास बोर्ड अन्तर्गत की भूमि

अपीलकर्ता का अपील आवेदन में कहना है कि :–

1. बिहार सरकार आवास बोर्ड द्वारा पटना शहर के वासियों के लिए उपर्युक्त भूमि का अधिग्रहण नियमानुसार किया गया है।
2. कंकड़बाग में सेक्टर–एफ0 में अर्जित भूमि पर निर्मित आवासों का आवंटन किया गया एवं जिसमें अपीलकर्तागण निवास करने लगे। यह भी अपील आवेदन में उल्लेख किया गया कि सेक्टर एफ के सामने योजनानुसार तीस–पैंतीस फीट आम सड़क हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पूर्व एवं मलाही पकड़ी ग्राम के पश्चिम रखा गया तथा रोड उत्तर से दक्षिण की ओर है।

3. कालान्तर में कुछ असमाजिक व्यक्तियों द्वारा कानूनी व्यवस्था को नजर अंदाज कर हाउसिंग बोर्ड के नाला एवं सड़क पर झोपड़ी एवं खटाल बना कर कब्जा कर लिये है, जिसके कारण रोड की चौड़ाई लगभग छः फीट संकीर्ण हो गयी है। मुश्किल् से आवास बोर्ड के निवासियों को रास्ता मिल पाता है तथा सूर्य का रोशनी भी नहीं मिल पाता है।

4. अतिक्रमणकारियों को कई अतिक्रमण हटाने का आग्रह किया गया तथा समय–समय पर पदाधिकारियों के समक्ष भी अतिक्रमण हटाने हेतु आवेदन दिये गये,पर कोई फलाफल नहीं हुआ। इसके पश्चात् राहत पाने के लिये माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C 4113/12 दाखिल किया गया, जिसमें दिनांक 01.03.2012 को आदेश पारित हुआ। समय व्यतीत होने के पश्चात् भी अभ्यावेदन दिया। उस पर अतिक्रमकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लाचार होकर अवमानना M.J.C 3674/14 अतिक्रमण मुक्त हेतु माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया।

5. दिनांक 19.11.2014 को जबकि अवमानना वाद माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा था, प्रशासन द्वारा कुछ अतिक्रमण विषयांकित भूखण्ड से हटाया गया, परन्तु प्रतिरोध के कारण कार्रवाई रोक दी गयी।

6. इस क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेशानुसार अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध अंचल अधिकारी, फुलवारीशरीफ के न्यायालय में वाद सं0 02 / 2012–13 प्रारम्भ किया गया और आंशिक अतिक्रमण भूखण्ड से हटाया गया।

7. अतिक्रमणकारी क्षुब्ध होकर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में 20716 / 14 दाखिल किये, जिसे दिनांक 03.02.2015 को खारिज कर दिया गया।

8. सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–20716 / 2014 के खारिज किये जाने के बावजूद भी जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो पुनः अवमानना वाद सं0–1678 / 2015 माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किया गया, जिसमें समाहर्त्ता, पटना के कारण पृच्छा के आलोक में दिनांक–01.09.2017 को वाद को निष्पादित कर दिया गया।

9. अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के स्तर से अतिक्रमण वाद सं0—02/12—13 में पारित आदेश का अनुपालन नहीं होने के कारण बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम की धारा—7 अन्तर्गत यह अपील वाद दायर की गयी है।

उपस्थित सरकारी अधिवक्ता ने उल्लेखित किया कि अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ द्वारा एम0जे0सी0 सं0—1678/2015 में कारण पृच्छा दायर करते समय इस तथ्य को स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रश्नगत भूमि से अतिक्रमण हटा दिया गया है और इस संबंध में दिनांक—18.01.2016 को अंतिम रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गयी। अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ द्वारा दायर कारण पृच्छा में उनके पत्रांक—III-16/15-177, दिनांक—18.01.16 में अतिक्रमण पूर्णतः हटा दिये जाने का तथ्य अंकित है।

उक्त से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा जिन माननीय उच्च न्यायालय के वादों एवं अवमानना वादों को उल्लेखित कर अपील किया गया है, उसमें इस तथ्य को छिपाया गया है कि एम0जे0सी0 सं0—1678/2015 में सरकार की ओर से यह कारण पृच्छा दायर किया गया है कि विषयांकित भूमि से अतिक्रमण हटा दिया गया है और इस आलोक में अवमानना वाद सं0—1678/2015 को माननीय न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित कर दिनांक 01.09.2017 को निष्पादित कर दिया गया है।

उक्त के आलोक में "Contempt Application stands disposed off now in view of the position emerges from the show-cause." अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।